# कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 431 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक 26/02/2026

**प्रवेश वर्ष – 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD / MS) पाठ्यक्रम के Extended स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग हेतु पूर्व पंजीकृत पात्र अनावंटित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन संस्था चयन किये जाने संबंधी सूचना**

प्रवेश वर्ष 2025 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी. / एम.एस.) पाठ्यक्रम के स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग आवंटन में प्रवेश उपरांत रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए, Extended स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसलिंग आयोजित किया जाना है इस हेतु **पूर्व पंजीकृत पात्र अनावंटित अभ्यर्थियों** से Extended स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड हेतु ऑनलाइन संस्था चयन (चॉइस फिलिंग) आमंत्रित किए जाते हैं।

**सभी आवेदक ऑन–लाईन संस्था चयन करने के पूर्व छत्तीसगढ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025, संशोधन दिनांक 22 जनवरी 2026 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2025 का अवलोकन अवश्य करे) (विशेषकर आरक्षण / काउंसिलिंग प्रक्रिया / बॉण्ड इत्यादि)** का पूर्णतः अध्ययन कर ही संस्था चयन की प्रकिया प्रारंभ करें, जो की वेबसाइट *www.cgdme.in* एवं *https://cgdme.admissions. nic.in/* में उपलब्ध है।

**ऑनलाईन संस्था चयन हेतु समय–सारिणी**

| क्र. | प्रक्रिया का विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | **च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि** (Choice Filling and Locking) | **दिनांक 26 फरवरी 2026, समय Server Time 18:00 Hrs** (06:00 PM) **से** **दिनांक 27 फरवरी 2026, समय Server Time 14:00 Hrs** (02:00 PM) **तक** |

नोटः–

1. पूर्व से पंजीकृत पात्र अनावंटित अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित तिथि में संस्था चयन करना आवश्यक है चूंकि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयन किये संस्था स्वतः शुन्य हो गये है, अर्थात संस्था चयन रिक्त हो गया है, अतः Extended स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए पुनः संस्था चयन करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी संस्था चयन नहीं करेंगे तो उन्हें Extended स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग में सीट आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

क्रमशः––2––

2. **इस चरण में सीट आवंटन के उपरांत यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है अथवा प्रवेश लेकर सीट का त्याग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि राजसात (Forfeit) कर ली जाएगी एवं अभ्यर्थी आगामी चरण (यदि संपन्न हो तो) एवं आगामी वर्ष की काउंसिलिंग के लिए अपात्र हो जाएगा।**

   अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संस्था चयन करते समय केवल उसी संस्था एवं विषय का चयन करें, जिसमें वे प्रवेश लेने के इच्छुक हों।

3. आगामी काउंसिलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट **www.cgdme.in** एन.आई.सी. की वेबसाइट **https://cgdme.admissions.nic.in/** का नियमित अवलोकन करें।

4. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाईस लॉकिंग इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वंय की जाती है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आवंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।

**(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)**

26/2/2026

**अध्यक्ष,**
**चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,**
**संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.**